

16/12/24

अधिवक्ता अपीलान्त व अपीलान्त स्थयं उच्छ
अधिवक्ता अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र पेश कर

हस्ताक्षर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निवेदन कि उक्त अपील में पदावसान के
मध्य राशीनाम होने से आगे नहीं चलता करते हैं
अतः उक्त अपील जिरदै विद्ने खरिज फरमावे।
अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर उक्त अपील जिरदै विद्ने
खरिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल
शुमात होकर शप तकमील दायित्स दफतरहो।



राजस्व अयाल प्राधिकारी
पाली